दिनांक 16.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 269/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 16.05.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा अभिषेक शर्मा निवासी ग्राम सिमरौली थाना बाबूगढ जनपद हापुड़ से कुरेबन्दी के आदेश से सम्बन्धित रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मयंक कुमार अरोरा के नेतृत्व में नगरपालिका परिषद हापुड़ में स्थित पानी की टंकी के पास से लेखपाल लवलेश कुमार (सदर तहसील, हापुड़) पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी बालापुरमाफी थाना वहलपुरवा तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट हाल पता शान्तिनगर गली नं0–05 दिल्ली रोड हापुड़ को 13 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 16.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 270/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना कछवां

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि बरामद**

दिनांक 16.05.2026 को थाना कछवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केवटावीर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही मे अभियुक्त देवश्वर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कछवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मीरजापुर, कमिश्नरेट वाराणसी व प्रयागराज के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कछवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवश्वर निवासी जयवंत सिंह का पुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना नन्दगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 16.05.2026 को थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे से ग्राम रेवसा जाने वाले लिंग मार्ग पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नन्दगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, गाजीपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू निवासी ग्राम जरासी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.05.2026 को थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त कन्हैयालाल उर्फ कान्हा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कन्हैयालाल उर्फ कान्हा निवासी ग्राम महमूद हथिनी थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 05 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **06 अधबनी नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 15.05.2026 को थाना बडौत व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–सलीम 2–फरमान 3–शोएब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 05 खोखा कारतूस 315 बोर, 06 अधबनी नाल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलीम निवासी करनावल थाना सरूरपुर जनपद मेरठ मूल निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2–फरमान निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3–शोएब निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1–20 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 जीवित, 05 खोखा कारतूस 315 बोर।

3–06 अधबनी नाल।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना झगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना झगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गिरीश नारायण उर्फ टुन्नू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना जाफरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना जाफरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———